न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्याः– 34/दावा/2020

1. माधोलाल आयु 65 पिता उदा जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा
2. बरधा आयु 60 वर्ष पिता उदा जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा
3. मोत्या आयु 50 वर्ष पुत्री उदा जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा
4. ग्यारसी आयु 45 वर्ष पुत्री उदा जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा
5. सरजु आयु 43 वर्ष पुत्री उदा जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. गोपाल आयु व्यस्क पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा
2. भंवरलाल पिता हजारी आयु व्यस्क जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा
3. रामपाल आ0 रामकिशन आयु व्यस्क जाति गुर्जर निवासी फजलपुरा
4. शोजीलाल पिता कल्ला आयु व्यस्क जाति गुर्जर निवासी दलेलपुरा
5. श्रीमान सरपंच साहब ग्राम पंचायत आकोदा, पंचायत समिति हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 188 रा0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

प्रतिवादी अभिभाषक – अनिल गुर्जर

निर्णय दिनांक :– 23/10/2020

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 4/240 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 4/241 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 4/242 रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 4/243 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 4/254 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 4/255 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 6 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 7 रकबा 2 बीघा 6 बीस्वा, खसरा संख्या 9 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 10 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 11 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 12 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में सभी सहखातेदारों ने आपसी सहमति से मौके पर हिस्से व

ारा कर रखा है और आपसी सहमति से बंटवारे में खसरा संख्या 10, 11, 12 वादीगण हिस्से में है जिन पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि के अन्य सह खातेदारान व वादीगण के मध्य कोई विवाद नही है। यह वाद वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 10, 11, 12 पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से केवल प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। भूमि के सहखातेदारों के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष इस वाद में नही चाहा गया है। वादीगण को अपने हिस्से व कब्जे में आई भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार है। खसरा संख्या 10, 11, 12 वाके ग्राम फजलपुरा में मौके पर कोई रास्ता नही है और न ही रिकोर्ड में कोई रास्ता है। लेकिन प्रतिवादी 1 लगायत 4 जबरन दादागिरी के बल पर वादीगण की खाते की भूमि खसरा संख्या 11 के मध्य जबरन रास्ता बनाने पर आमादा है और रास्ता नही बनाने देने की सूरत में प्रतिवादी संख्या 5 की मदद लेकर जबरन जेसीबी मशीन से खेत पर रास्ता बनाने पर आमादा है जबकि कानूनन खाते की भूमि में जेसीबी से रास्ता बनाने का कोई प्रावधान नही है और न ही ग्राम पंचायत को किसी खातेदार की भूमि में रास्ता बनाने का कोई विधिक अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 4 ग्राम पंचायत आकोदा का सरपंच है जो अपने पद का दुरूपयोग कर भय दिखाकर डरा धमका कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के साथ मिलकर व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उदेश्य से प्रार्थी की भूमि में जबरन रास्ता बनाने पर आमादा हो रहे है जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा पंचायत राज अधि0 के नियमों के विपरित किये जाने वाले कार्य को वादी को रूकवाने का अधिकार है व खातेदारी भूमि पर रास्ता नही बनाने हेतु व कृषि भूमि के किसी भी भू–भाग पर जबरन सडक व रास्ता नही बनाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। दिनांक 31.05.2020 को प्रतिवादी 1 लगायत 4 एकराय होकर वादी की भूमि पर आ गये और वादी की भूमि में जबरन रास्ता बनाने हेतु साफ सफाई करने का प्रास किया जिसकी जानकारी मिलने पर वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि हम तेरे खेत पर होकर जबरन रास्ता बनायेगे और तुम रास्ता नही बनाने दोगे तो रात्रि में जेसीबी मशीन लाकर जेसीबी से रास्ता बनायेगे और आडे फिरेगा तो थाने में बन्द करवाकर तुझे जेल भिजवायेगे। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.05.2020 को उक्त धमकी देने से यह वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर ज़ारी है। यदि किसी व्यक्ति को रास्ते की आवश्यकता है तो यह विधिक प्रक्रिया द्वारा सक्षम न्यायालय में रास्ते की घोषणा बाबत 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत कार्यवाही प्रस्तुत कर भूमि की प्रतिकर राशि जमा करवाकर न्यायालय से रास्ता घोषित करवावे। किसी भी व्यक्ति को जबरन अवैध रूप से रास्ता बनाने की कानून अनुमति नही देता है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 10, 11, 12 वाके ग्राम फजलपुरा के किसी भी भू–भाग पर सडक नही बनाने, रास्ता नही बनाने, जेसीबी से खेत में खुदाई नही करने व कृषि भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन रास्ता बना दे तो इसी वाद में रास्ते को हटवाकर आज की स्थिति प्रतिवादीगण के खर्चे पर बहाल करवावें। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि सहखातेदारी भूमि है। वाद में चाहे गये

तोष की भूमि वादी के हिस्से व बंटवारे में तथा कब्जे में होने से तथा अन्य सहखातेदारों के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहने से व अन्य सहखातेदार आवश्यक पक्षकार नही होने से उनको पक्षकार नही बनाया है और वादी के भूमि में हस्तक्षेप करने वाले प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमिया वाके ग्राम फजलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त वाद अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें – वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 10, 11, 12 वाके ग्राम फजलपुरा के किसी भी भू–भाग पर जबरन सडक/रास्ता नही बनाने, खेत में खुदाई नही करने, कृषि भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर जबरन रास्ता/सडक बना दे, खेत में खुदाई कर दे तो प्रतिवादीगण के खर्चे पर इसी वाद में वापस भजवाया जाकर/हटवाया जाकर आज की स्थिति बहाल करवाई जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संदर्भ में वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक श्री अनिल कुमार की ओर से निम्न राजीनामा पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि कुल किता 14 कुल रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम फजलपुरा में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, उक्त भूमि में निहित खसरा संख्या 10, 11, 12 के सहारे रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ते के दोनो तरफ के खातेदारों द्वारा रास्ता को सिकुडा दिया गया है। उक्त रास्ता आपसी सहमति से खाते की भूमि में ही पूर्व से निकाला हुआ है जो चालू रहेगा। उक्त रास्ते के सहारे प्रार्थीगण द्वारा की हुई कांटों की बाड व तार फेंसिग को मेड से डेढ फिट अन्दर कर लेगा। इसी प्रकार दूसरी साईड का व्यक्ति भी तार फेसिंग को डेढ फिट अन्दर करेगा बीच के रास्ते में यदि पंचायत झीकरा मिटटी डालती है तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही होगी। अप्रार्थीगण व पंचायत प्रार्थीगण की खाते की भूमि पर कोई खुदाई नही करेगी। रास्ते में मिटटी बाहर से लाकर डाली जावेगी। मौके पर मौजूद रास्ते पर यदि सीसी सडक/इन्टरलोकिंग सडक बनाई जाती है, तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी। मौके पर वर्तमान में लगभग 9 फिट चौडा रास्ता है, जिस पर ही कार्य करवाया जायेगा। खाते की भूमि में किसी प्रकार का कोई कार्य नही किया जायेगा। इसके साथ ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 10 वर्णित 3 बीघा भूमि ग्राम फजलपुरा में विस्थित है, उक्त भूमि पर आने के लिये रिकोर्ड पर कोई रास्ता नही है लेकिन गोपाल आ0 नन्दा, हेमराज, लटूर, सत्यनारायण पि0 शंकर व रामचन्द्र, शोजी पि0 रोडू की भूमि पर होकर प्रार्थी अपनी भूमियां खाता संख्या 10 में वर्णित 3 बीघा भूमि पर पूर्व की भांति निकलता रहेगा। प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण बाधित नही करेगे रास्ते के आवाजाही में अवरोध नही डालेगे। वर्तमान में मौजूद रास्ता यथावत बना रहेगा। खाता संख्या 10 की भूमि के रास्ते को अप्रार्थीगण कभी नष्ट नही करेगे। उक्त राजीनामें से दोनों पक्ष पाबंद रहेगे एवं राजीनामें की पालना करेगे।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर राजीनामें के मुसार प्रार्थना पत्र निस्तारण करने की कृपा करें।

वकील पक्षकारान ने मुताबिक राजीनामें के दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार मुताबिक राजीनामें के प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि कुल किता 14 कुल रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम फजलपुरा में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, उक्त भूमि में निहित खसरा संख्या 10, 11, 12 के सहारे रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ते के दोनो तरफ के खातेदारों द्वारा रास्ता को सिकुडा दिया गया है। उक्त रास्ता आपसी सहमति से खाते की भूमि में ही पूर्व से निकाला हुआ है जो चालू रहेगा। उक्त रास्ते के सहारे प्रार्थीगण द्वारा की हुई कांटों की बाड व तार फेंसिग को मेड से डेढ फिट अन्दर कर लेगा। इसी प्रकार दूसरी साईड का व्यक्ति भी तार फेसिंग को डेढ फिट अन्दर करेगा बीच के रास्ते में यदि पंचायत झीकरा मिटटी डालती है तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही होगी। अप्रार्थीगण व पंचायत प्रार्थीगण की खाते की भूमि पर कोई खुदाई नही करेगी। रास्ते में मिटटी बाहर से लाकर डाली जावेगी। मौके पर मौजूद रास्ते पर यदि सीसी सडक/इन्टरलोकिंग सडक बनाई जाती है, तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी। मौके पर वर्तमान में लगभग 9 फिट चौडा रास्ता है, जिस पर ही कार्य करवाया जायेगा। खाते की भूमि में किसी प्रकार का कोई कार्य नही किया जायेगा। इसके साथ ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 10 वर्णित 3 बीघा भूमि ग्राम फजलपुरा में विस्थित है, उक्त भूमि पर आने के लिये रिकोर्ड पर कोई रास्ता नही है लेकिन गोपाल आ0 नन्दा, हेमराज, लटूर, सत्यनारायण पि0 शंकर व रामचन्द्र, शोजी पि0 रोडू की भूमि पर होकर प्रार्थी अपनी भूमियां खाता संख्या 10 में वर्णित 3 बीघा भूमि पर पूर्व की भांति निकलता रहेगा। प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण बाधित नही करेगे रास्ते के आवाजाही में अवरोध नही डालेगे। वर्तमान में मौजूद रास्ता यथावत बना रहेगा। खाता संख्या 10 की भूमि के रास्ते को अप्रार्थीगण कभी नष्ट नही करेगे। उक्त राजीनामें से दोनों पक्ष पाबंद रहेगे। उक्तानुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली